

foRrh; fj i kfVx , oa ys[kkvka ij fVli .kh

यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 0k\$ fDrd ystj [kkrs@tek [kkrs

3.1.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियन्त्रण प्रदान करता है। उ.प्र. बजट मैनुअल में निर्धारित है कि सभी अन्तिम बचतों को 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर देना चाहिए एवं किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये सम्बन्धित अधिकारीगण उत्तरदायी होंगे।

वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिये अव्ययित निधियों को नियमित रूप से लोक लेखे के अधीन विभिन्न जमा शीर्षों (पी.डी.)/वैयक्तिक लेजर खातों (पी.एल.ए.) में हस्तान्तरित किये जाने के उ.प्र. सरकार के अनेक विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरन्तर टिप्पणी की गयी है। अग्रेतर, उ.प्र. वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली, 1998, वित्त विभाग की पूर्व अनुमोदन से ही अव्ययित निधियों को पी.डी./पी.एल.ए. में जमा करने की अनुमति प्रदान करता है। यद्यपि इस प्रावधान का उपयोग कदाचित ही करना है, लेखापरीक्षा में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया कि वित्त विभाग ने सुनिश्चित किया हो कि विभागों ने अव्ययित धनराशि को इस प्रकार नियमित रूप से पी.डी./पी.एल.ए. में हस्तान्तरण करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया हो। ऐसी प्रथा विधायी उद्देश्य का उल्लंघन है, जिसे यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के लिये अनुमोदित निधियाँ उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो। वित्त विभाग, जो लोक वित्त का अभिरक्षक है, द्वारा वित्तीय औचित्य एवं विवेक का उल्लंघन करने वाले ऐसे अनियमित प्रथा पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति नहीं की गयी।

पी.डी. खातों में अवशेषों का समय-समय पर मिलान न किया जाना एवं पी.डी. खातों में पड़े अव्ययित अवशेषों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि में हस्तान्तरित न किया जाना लोक निधि के दुरुपयोग, कपट एवं दुर्विनियोजन के जोखिम का संकेत करता है।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के पी.एल. खातों में 31 मार्च 2017 तक अन्तिम अवशेष ₹ 6,835.75 करोड़ था।

3.1.2 vl pkfyr ih-Mh-@ih, y- [kkrs

पी.एल.ए. नियमावली यह प्रावधान करता है कि तीन वर्षों से अधिक लेन-देन न होने पर पी.डी./पी.एल. खातों को बन्द कर दिया जाय। तथापि, यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा एवं मुख्य शीर्ष 8448 स्थानीय निधियों की जमा के अधीन 341 पी.डी./पी.एल. खाते जिसमें तीन वर्षों से अधिक समय से लेन-देन नहीं हुआ था एवं 31 मार्च 2017 तक अव्ययित अवशेष ₹ 95.80 करोड़ पड़ा हुआ था, को बन्द करने में उ.प्र. सरकार असफल रही। विवरण | kj .kh 3.1 में दिया गया है:

Lkkj.kh 3.1% vl pkyfr i h-Mh- ys[ks

(/kujkf'k ₹ e)

ØØ l.Ø	/kujkf'k dh lhek	i dj .kka dh l a[; k	/kujkf'k
1	एक लाख से कम	206	53,05,322
2	1 से 5 लाख	73	1,74,92,551
3	5 से 10 लाख	19	1,30,59,197
4	10 से 20 लाख	18	2,46,75,886
5	20 से 50 लाख	11	3,44,45,675
6	50 लाख एवं अधिक	14	86,30,71,366
			; kx 95,80,49,997

l dfr% वित्त विभाग द्वारा सभी पी.डी./पी.एल. खातों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है एवं इन पी.डी./पी.एल. खातों में अनावश्यक पड़ी सभी धनराशियों को तत्काल समेकित निधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, वित्तीय नियमावली में निहित निर्देशों को वित्त विभाग द्वारा दोहराते हुये यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि नियमों के अनुसरण करने में असफल रहे विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय।

3.2 Hkou , oa vl; l fluekl k Jfed dY; k.k mi dj

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बी.ओ.सी.डब्लू.) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बी.ओ.सी.डब्लू. (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान, जिनके द्वारा किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया गया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशा में सुधार के उद्देश्य एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान करता है। तदनुसार, उ.प्र. सरकार ने उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया, तथा, उपकर अधिनियम के सम्बन्ध में, एक प्रतिशत की दर से उपकर उद्ग्रहित किया। उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. नियमावली 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 50 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 50 का संग्रहण किया जाना निहित है। इस सम्बन्ध में, लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है।

3-2-1 mi dj dk ys[kkadu

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कल्याण बोर्ड द्वारा गठन (नवम्बर 2009) से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। विगत पांच वर्षों की उपकर प्राप्तियों एवं उपभोग का विवरण l kj.kh 3-2 में दिया गया है:

Lkkj.kh 3.2% i athdj .k 'kq'd mi dj , oa mi Hkksx dh foRrh; fLFkfr

(₹ dj km+e)

ØØ l.Ø	Øk"kl	i kj fHkd vo' ks'k	i kfr; k				dy mi yC/k fuf/k	0; ;	vUre ' ks'k
			i athdj .k i Hkkj , oa okf"kd l nL: rk 'kq'd	ckMZ ys[ks ea i klr Je mi dj	dk's'kkxkj l s i klr mi dj kj kT; l jdkj ½	tek /kujkf'k ij C; kt			
1	2012-13	381.91	13.87	311.79	0	27.43	735.00	4.89	730.11
2	2013-14	730.11	17.84	458.46	165.00	49.58	1,420.99	98.12	1,322.87
3	2014-15	1,322.87	28.59	500.44	9.25	97.07	1,958.22	127.63	1,830.59
4	2015-16	1,830.59	14.55	686.81	0	128.37	2,660.32	202.41	2,457.91
5	2016-17	2,457.91	13.00	829.60	10.00	162.23	3,472.74	277.78	3,194.96

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अनन्तिम आंकड़े)

इस सम्बन्ध में, अतिरिक्त निष्कर्ष निम्नवत् है:

- बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं, इसलिए आय एवं व्यय की प्रामाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- बोर्ड द्वारा स्थायी परिसम्पत्ति पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया जिसके अभाव में सृजित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व तथा उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- उ.प्र. सरकार मार्च 2017 तक बोर्ड को ₹ 34.48 करोड़ स्थानान्तरित करने में असफल रही परिणामतः वर्ष 2016-17 में उक्त धनराशि की सीमा तक राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटा में न्यूनता रही।
- राज्य सरकार द्वारा 16 विभागों के अधिकारियों को उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नामित (सितम्बर 2010) किया गया। उ.प्र. सरकार ने शासनादेश (अगस्त 2012) एवं पुनः (सितम्बर 2016) द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को संग्रहित उपकर की प्राप्तियों को बोर्ड द्वारा इस हेतु संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में जमा किये जाने के निर्देश दिये। उपकर को राज्य की समेकित निधि में लाये बिना सीधे बैंक खाते में स्थानान्तरण किये जाने का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि कितनी धनराशि का संग्रहण उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया गया एवं कितनी धनराशि बोर्ड को स्थानान्तरित की गयी।

3-2-2 mi dj dk mi ; kx

राज्य सरकार द्वारा बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण निधि से लाभ दिये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों को अधिसूचित किया गया यथा मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास क्रय/निर्माण हेतु अग्रिम, अन्त्येष्टि सहायता, चिकित्सीय सहायता, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा/शादी हेतु वित्तीय सहायता आदि। वर्ष 2012-17 की अवधि में इन योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण | kj .kh 3.3 में दिया गया है:

| kj .kh 3.3% fuf/k ds vko&u , oa mi yC/krk ds | ki \$k ; kstukvka ij 0; ; dk foofj .k

Ok"Kz	mi yC/k fuf/k ₹ dj kM+ e\$	Lkpkfyr ; kstuk; s		; kstukvka ij okLrfod 0; ; ₹ dj kM+ e\$	Ok"Kz ds var rd lkathkr Jfed	vkPNkfnr Jfed	lkfr' krrk		
		l a; k	vko&u ₹ dj kM+ e\$				vkPNkfnr Jfed	vko&u ds l ki \$k mi ; kx	mi yC/k fuf/k ds l ki \$k mi ; kx
2012-13	735.00	15	225.00	3.95	2,70,871	9,610	3.55	1.76	0.54
2013-14	1,420.99	18	301.90	93.39	10,90,192	95,295	8.74	30.93	6.57
2014-15	1,958.22	22	457.90	105.96	19,58,544	2,14,121	10.93	23.14	5.41
2015-16	2,660.32	21	605.61	141.82	27,41,452	2,77,909	10.14	23.42	5.33
2016-17	3,472.74	23	752.83	249.88	34,27,104	5,16,851	15.08	33.19	7.20

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्लू.) (अनन्तिम आंकड़े)

| Lrfir% उ.प्र. बी.ओ.सी.डब्लू. कल्याण बोर्ड द्वारा समय से लेखे की तैयारी प्रारम्भ किया जाना तथा भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों की कार्य की दशा में सुधार एवं उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता दिये जाने के अधिदेश की पूर्ति हेतु सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए। उपकर को, समेकित निधि के माध्यम से, के स्थान पर बोर्ड के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरण किये जाने के अपने आदेशों की उ.प्र. सरकार द्वारा समीक्षा भी की जानी चाहिए।

3.3 fodkl i kf/kdj .kka , oa vkokl fodkl i fj "knka dks vfrfjDr LVkEi M; i/h dk vUrrj.k

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के संग्रहण करने एवं बाद में उसे विनिर्दिष्ट अनुपात में सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषदों/विकास प्राधिकरणों को हस्तांतरण किये जाने का प्रावधान है।

अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त धनराशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 0030—स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, 02—स्टाम्प नान—जुडिशियल, 102—स्टाम्प बिक्री के अधीन किया जाता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त राजस्व धनराशि के चिन्हांकन के लिए अलग से उप शीर्ष नहीं खोला गया है जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार द्वारा दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त की गयी है तथा क्या प्राप्त समस्त धनराशि सम्बन्धित नगर निगमों/नगर पालिकाओं/परिषद/विकास प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट अनुपात में स्थानान्तरित कर दी गयी।

विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/परिषदों को निधियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में, यह पाया गया कि सरकार द्वारा व्यय का लेखांकन मुख्य शीर्ष 2216—आवास या 2217—नगर विकास, जैसा प्रकरण हो, के स्थान पर मुख्य शीर्ष 3475-800-03 के अधीन किया जा रहा था। त्रुटिपूर्ण लेखांकन किये जाने से मुख्य शीर्ष 2216/2217—आवास/नगर विकास विभाग के अधीन व्यय में न्यूनता जबकि मुख्य शीर्ष 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत व्यय में उस सीमा तक अतिशयता दर्शात हुई।

उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत आदेश (सितम्बर 2015) में निर्धारित किया गया है कि ऐसी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी सर्वप्रथम लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल.डी.ए.) को स्थानान्तरित की जायेगी, जहां से इस अधिनियम के अन्तर्गत निधियों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत सभी इकाइयों को प्रेषित किया जायेगा। राज्य सरकार के लेखे से यह सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है कि क्या सभी अन्य इकाइयों को अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी का पूर्ण अंश हस्तान्तरित करने में एल.डी.ए. ने अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति की, क्योंकि एल.डी.ए. से आगे के संव्यवहार शासकीय लेखे में प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं। लेखे से यह भी सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं है कि एल.डी.ए. ने मात्र उन इकाइयों को ही निधियों का हस्तान्तरण किया जो कि अधिनियम में निर्धारित है एवं अन्य को नहीं। विभिन्न प्राधिकरणों को हस्तान्तरित धनराशि (₹ 418.35 करोड़) का विवरण i f j f ' k " V 3.1 में दिया गया है।

अग्रेतर, सरकार द्वारा अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के वितरण की प्रक्रिया के निर्धारण (सितम्बर 2013) में, एकत्र धनराशि का 25 प्रतिशत डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया गया जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की अतिरिक्त धनराशि का उपभोग मात्र उस क्षेत्र के विकास के लिये किया जाना था जहां से धनराशि एकत्र की गयी थी इसलिये निधि की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को स्थानान्तरित किया जाना अनियमित था। यह पाया गया कि सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 एवं आगे इस निधि के लिये मुख्य शीर्ष 2217-80-800-08 के अन्तर्गत निरन्तर प्रावधान किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में किये गये प्रावधान एवं व्यय का विवरण l k j . k h 3.4 में दिया गया है:

Lkkj . kh 3.4 % MMhdS/M uxj i fjogu fuf/k ds fy; s i ko/kku@0; ; dk fooj . k

(₹ d j k M + e)

o"z	i ko/kku	0; ;
2014-15	300	285
2015-16	434	430
2016-17	375	-

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2016-17 में किये गये प्रावधान ₹ 375 करोड़ को कोषागार से आहरित नहीं किया जा सका था जो अंततः व्यपगत हो गया क्योंकि वित्तीय संस्वीकृति वर्ष के अंतिम दिवस अर्थात् 31 मार्च 2017 को दी गयी थी।

। d r f r % उ.प्र. सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की प्राप्ति एवं उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों/निगमों आदि को स्थानान्तरित धनराशि, लेखे में पूर्णरूपेण एवं पारदर्शिता से प्रदर्शित हो। अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की 25 प्रतिशत धनराशि डेडीकेटेड नगर परिवहन निधि को हस्तांतरण सम्बन्धी आदेश, जो अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल है, की समीक्षा भी उ.प्र. सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

3.4 ys[ks es vi kj nf' k rk

अन्य प्राप्तियां एवं अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन तभी किया जाना अभीष्ट है जब लेखे में समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान लेखे के विभिन्न राजस्व एवं पूंजीगत मुख्य शीर्षों के व्यय पक्ष में ₹ 35,329.20 करोड़ (जो कुल व्यय का लगभग 11.53 प्रतिशत थे) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

इसी प्रकार, लेखे के विभिन्न राजस्व मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 36,826.27 करोड़ (जो कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 14.34 प्रतिशत थे) विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये।

ऐसे उदाहरण जहाँ प्राप्तियों एवं व्यय के बहुत अधिक भाग (सम्बन्धित मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण ys[ks es vi kj nf' k rk foRr ys[k&Hkkx&1½ के i f f f ' k " V [k एवं X में दिये गये हैं।

यद्यपि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विगत प्रतिवेदनों में उपरोक्त पहलू पर निरन्तर टिप्पणी किये जाने से कुछ सुधार हुआ है। तथ्य है कि सम्बन्धित मुख्य शीर्ष के अधीन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्तियों एवं व्ययों को लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत लेखांकन चिन्ता का कारण है क्योंकि यह पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

। d r f r % वित्त विभाग को लघु शीर्ष 800 के अधीन वर्तमान में दर्शित हो रहे सभी मदों की विस्तृत समीक्षा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के परामर्श से संचालित करनी चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को लेखे के समुचित शीर्ष के अधीन पुस्तांकित किया जाय।

3.5 j kd Megh dk v u j { k . k u f d ; k t k u k

प्राप्तियों एवं वितरणों के वित्तीय संव्यहारों के लिये रोकड़बही प्राथमिक अभिलेख है जिसे प्रत्येक कार्यालय में प्राप्तियों एवं शासकीय धन की अभिरक्षा को उचित ढंग से

सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है। रोकड़बही का अनुरक्षण न किया जाना/अनुचित अनुरक्षण से न केवल शुद्धता एवं लेखे की पूर्णता प्रभावित होती है अपितु शासकीय निधियों के सम्भावित कपट, दुर्विनियोग एवं गबन का संकेतक भी है।

राज्य विधायिका को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों एवं महालेखाकार द्वारा विभिन्न विभागों को अलग से जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में उ.प्र. सरकार की विभिन्न इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण न किये जाने/अनुचित अनुरक्षण से सम्बन्धित कई प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। उदाहरणस्वरूप, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2017 की प्रतिवेदन संख्या 2) में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 184 स्कूलों में रोकड़बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाये गये कुछ अतिरिक्त अद्यतन प्रकरण *ifjfk"V 3.2* में सूचीबद्ध किये गये हैं।

l drfr% वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उ.प्र. सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ इकाइयों द्वारा रोकड़बही का अनुरक्षण किया जाय।

3.6 l kolrfud {ks= ds mi Øek@fuxeka ds ys[kkvka ds vflurehdj .k ea foyEc

कम्पनी अधिनियम में निर्धारित है कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से छः महीने के अन्दर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को अन्तिम रूप देना आवश्यक है। समय पर लेखाओं के प्रस्तुत करने में विफलता, कम्पनी के अधिकारियों को अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानों हेतु उत्तरदायी बनाता है, जिसमें अर्धदण्ड एक लाख रुपये तक एवं साथ ही व्यतिक्रम के प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिये अग्रेतर अर्धदण्ड ₹ 5,000 हो सकता है। सांविधिक निगमों के प्रकरण में, संचालित अधिनियम उनसे अपेक्षा करता है कि उनके लेखे का अन्तिमीकरण, सम्प्रेक्षित एवं राज्य विधायिका में प्रस्तुत हो।

उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, उ.प्र. में 88 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के लेखे बकाया हैं, जिनका विवरण l kj .kh 3-5 में है:

l kj .kh 3-5: 31 ekpl 2017 dks i h-, l -; # ds okf"kl d ys[kkvka ds cdk; s dk vof/kokj fooj .k

Ø. l a	fooj .k	fØ; k' khy	vffØ; k' khy	; ksx
1	पी.एस.यू. की संख्या	65	39	104
2(अ)	बकाये लेखे वाले पी.एस.यू./निगम की संख्या	56	36	92
2(ब)	बकाये लेखाओं की संख्या	230	527	757
3(अ)	5 वर्ष से कम बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	40	10	50
3(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	76	24	100
4(अ)	5 से 10 वर्ष के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	11	6	17
4(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	71	36	107
5(अ)	10 एवं उससे अधिक वर्षों के बकाया लेखे वाले पी.एस.यू./निगमों की संख्या	5	20	25
5(ब)	उपरोक्त पी.एस.यू./निगमों में बकाया लेखाओं की संख्या	83	467	550
6	बकाये लेखाओं की सीमा (वर्ष में)	1 से 19	1 से 34	1 से 34

(स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अद्यतन अन्तिम लेखे)

लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा, जैसा कम्पनी अधिनियम में निर्धारित है, एवं निगमों की संवैधानिक लेखापरीक्षा, जैसा उनसे सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित है, एक से 34 वर्षों से करने में असमर्थ है।

सुसंगत अधिनियमों का अनुपालन व्यतिक्रमी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा सुनिश्चित कराये जाने में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को उपरोक्त सूचित करता है।

यह विशेष रूप से देखे जाने योग्य है कि इन पी.एस.यू. द्वारा वित्तीय सहायता के लिये की गयी मांग की वास्तविकता का निर्णय करने के लिये लेखाओं के अभाव में भी, वित्त विभाग द्वारा इन पी.एस.यू. को इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के अंतः प्रवाह के रूप में बजटीय समर्थन नियमित रूप से उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान, शासन द्वारा 16 क्रियाशील कम्पनियों/सांविधिक निगमों को ₹ 21,038.52 करोड़ (इक्विटी: ₹ 13,717.74 करोड़, ऋण: ₹ 3,815.81 करोड़, अनुदान: ₹ 155.87 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 3,347.57 करोड़) तथा दो अक्रियाशील कम्पनियों को ₹ 1.53 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, विवरण *ijff'k"V 3.3* में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, वर्ष 2015-16 में नौ क्रियाशील कम्पनियों को वित्तीय समर्थन एवं सहायता धनराशि ₹ 19,794.16 करोड़ (इक्विटी: ₹ 19,251.33 करोड़, ऋण: ₹ 162.73 करोड़, अनुदान: ₹ 320.93 करोड़ एवं सब्सिडी: ₹ 59.17 करोड़) उपलब्ध कराया गया जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था, विवरण *ijff'k"V 3.4* में दर्शाया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, कुल ₹ 6,741 करोड़ ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा वितरित किया गया था, जिनमें से मुख्य वितरण यू.पी.पी.सी.एल. को ₹ 3,700 करोड़ का एक ऋण (उदय के लिये), सात ऋण ₹ 490 करोड़ का गन्ना आयुक्त को, 498 ऋण ₹ 330 करोड़ का स्थानीय निकायों के मल-जल निस्तारण एवं स्वच्छता इकाइयों को दिये गये थे।

ijff'k"V वित्त विभाग को उन सभी पी.एस.यू. के प्रकरणों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके लेखे बकाया है एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित समयान्तर्गत लेखे वर्तमानकालिक बने एवं उन सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन रोक देना चाहिए जहाँ लेखे निरन्तर बकाया हैं।

3.7 *v?kkf"kr ykHkkd k*

राज्य सरकार द्वारा एक लाभांश नीति प्रतिपादित (अक्टूबर 2002) की गयी जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाली पी.एस.यू. को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूँजी के योगदान का पांच प्रतिशत न्यूनतम रिटर्न भुगतान करना आवश्यक है। तदनुसार, 18 पी.एस.यू.³³ द्वारा लाभांश नीति के अनुसार लाभांश को घोषित करना था। तथापि, मात्र आठ पी.एस.यू.³⁴ ने ₹ 6.54 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष लाभ

³³ 18=(कुल पी.एस.यू.: 33 घटाया: 15 पी.एस.यू. {तीन पी.एस.यू. यथा उत्तर प्रदेश जल निगम, अपट्रान पावरट्रोनिक्स लिमिटेड एवं यू.सी.एम कोयला कम्पनी लिमिटेड दोनों श्रेणी में आते हैं अर्थात् हानि में होना एवं शासकीय अंशपूँजी न होना]।

³⁴ उ.प्र. प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि., उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि., उ.प्र. राज्य निर्माण एवं अवसंरचना विकास निगम लि., उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि., उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि., उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि. एवं उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

अर्जित करने वाले 10 पी.एस.यू.³⁵ ने ₹ 507.48 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया जो देय न्यूनतम लाभांश के भुगतान सम्बन्धी राज्य सरकार की नीति के विपरीत था। विवरण *विवरण 3.5* में दिया गया है

राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले पी.एस.यू. द्वारा वर्ष के अन्त तक विनिर्दिष्ट लाभांश को निश्चित रूप से शासकीय लेखे में जमा किया जाय।

3.8 विविध सार्वजनिक उपकरणों का निवेश

31 मार्च 2017 तक, सरकार ने विभिन्न इकाइयों³⁶ में कुल ₹ 96,400 करोड़ का निवेश किया था। यह पाया गया कि वित्त लेखे में दिये गये विवरणों एवं पी.एस.यू. द्वारा सूचित आंकड़ों में ₹ 8,241.58 करोड़ की भिन्नता है, जिसका मिलान किया जा रहा है।

इसी प्रकार, उ.प्र. सरकार द्वारा दिये गये ऋण के सम्बन्ध में वित्त लेखे एवं पी.एस.यू. द्वारा सूचित आंकड़ों में भिन्नता है जिसका मिलान किया जा रहा है।

वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को अभिलेखों एवं राज्य के निवेश से सम्बन्धित लेखे, ऋण एवं गारन्टी में भिन्नता के मिलान के लिये महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।

3.9 चोरी, हानि, गबन एवं दुर्विनियोग

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी. एण्ड एस.एस.ए.), उ.प्र., इलाहाबाद में उपलब्ध विवरण/सूचना के अनुसार, वर्ष 2016-17 की अवधि तक चोरी या हानि के 135 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे, जिसमें ₹ 8.83 करोड़ की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों एवं उनका अवधिवार विश्लेषण *विवरण 3.6* में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण *विवरण 3.7* में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये लम्बित प्रकरणों की प्रकृति एवं अवधिवार स्थिति को *ल.प्र. 3.6* में सारांशीकृत किया गया है:

ल.प्र. 3.6% चोरी, हानि, गबन एवं दुर्विनियोग

विवरण 3.6% चोरी, हानि, गबन एवं दुर्विनियोग			चोरी, हानि, गबन एवं दुर्विनियोग		
विवरण	अवधि	₹	विवरण	अवधि	₹
0-5	6	64.24	चोरी	61	33.21
5-10	15	287.80			
10-15	22	67.05	दुर्विनियोग	08	58.73
15-20	14	62.86			
20-25	29	13.55	हानि	24	172.35
25 एवं इससे अधिक	49	387.07	गबन	42	618.28
कुल	135	882.57	कुल	135	882.57

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

ऐसे प्रकरणों के लम्बित रहने का कारण, जैसा विभागों द्वारा सूचित किया गया, *ल.प्र. 3.7* में सूचीबद्ध है:

³⁵ उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम, उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि., उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., उ.प्र. बीज विकास निगम लि., उ.प्र. विकास सिस्टम कारपोरेशन लि., उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि., उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि., उ.प्र. मत्सय विकास निगम लि. एवं उ.प्र. भूमि सुधार निगम लिमिटेड।

³⁶ संवैधानिक निगमों (₹ 856 करोड़), सरकारी कम्पनियों (₹ 93,299 करोड़), सहकारिताएं (₹ 2,199 करोड़) एवं बैंक (₹ 58 करोड़)–₹ 12 करोड़ के निवेश के विवरण का मिलान प्रगति में है।

I kj . kh 3.7% yfEcr i dj . kka ds dkj . k

foyEc@vo'k'k i dj . kka dk dkj . k		i dj . kka dh l a[; k	/kujkf' k ₹ yk[k e#
क	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ख	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	74	541.63
ग	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की कार्यवाही लम्बित हैं	1	4.14
घ	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	9	6.40
ङ	माननीय न्यायालयों में लम्बित	24	140.73
		135	882.57

(स्रोत% सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

/Lrf% शासन को अधिपत्रित विभागीय कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिये एवं ऐसे प्रकरणों की रोकथाम/पुनरावृत्ति को रोकने के लिये आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

3.10 foHkxh; okf.kfT; d mi Øeka ds i kQekz ys[k

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप देना एवं लेखाबन्दी के तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं। तथापि, यह पाया गया कि, राज्य के नौ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में से तीन ने कई वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया था। विवरण *ifj'k"V 3.8* में दिया गया है।

3.11 mi Hkx i ek.k&i = if"kr u fd; k tkuk

वित्तीय नियमावली में निर्धारित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिए, जिन्हें सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, निधियों का उपभोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये, अग्रेषित किया जाना चाहिये। तथापि, यह पाया गया कि, 31 मार्च 2017 तक ₹ 97,906.27 करोड़ के उपभोग प्रमाण-पत्र लम्बित थे, जैसा कि *l kj . kh 3.8* में दिया गया है:

I kj . kh 3.8% yfEcr mi Hkx i ek.k&i =

vof/k	yfEcr mi Hkx i ek.k&i =ka dh l a[; k	/kujkf' k (₹dj kM+e#)
2014-15 तक	2,25,597	66,861.14
2015-16	11,355	10,223.77
2016-17	18,071	20,821.36
	2,55,023	97,906.27

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

उपभोग प्रमाण-पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के मुख्य प्रकरण *पंचायती राज* विभाग (₹ 25,490.95 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 25,693.52 करोड़), एवं समाज कल्याण विभाग (₹ 26,927.49 करोड़) से सम्बन्धित थे। अप्रस्तुत उपभोग प्रमाण-पत्र के प्रकरण नियमित रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सूचित किये जाते रहे हैं, तथापि कोई सुधार नहीं हुआ। कई प्रकरणों में, उन्हीं प्राप्तकर्ताओं द्वारा उन्हीं विभागों से अगला अनुदान प्राप्त करना जारी रखा गया जबकि पूर्व के अनुदानों के उपभोग

प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपभोग प्रमाण-पत्रों का अधिकता में लम्बित रहना निधियों के दुर्विनियोजन एवं कपट के जोखिम से भरा हुआ था।

वित्त विभाग द्वारा एक समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत अनुदान अवमुक्त करने वाले प्रशासनिक विभाग अनुदान आदेश में निहित समय से अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों का संग्रह करें एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी अवधि में, प्रशासनिक विभाग व्यतिक्रमी अनुदानग्राहियों को अगला अनुदान अवमुक्त न करे।

3.12 यफेर foLr'r vkdfLed fcy

वित्तीय नियमावली में अपेक्षित है कि संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा आहरित अग्रिमों का समायोजन शीघ्रता से विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) के माध्यम से किया जाय। तथापि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2017 तक ₹ 139.05 करोड़ धनराशि के 3620 ए.सी. देयक समायोजन हेतु लम्बित थे, विवरण l kj.kh 3.9 में दिया गया है। समय से डी.सी. देयक प्रस्तुत करने में विफलता सम्भावित दुर्विनियोग एवं कपट का संकेतक है।

l kj.kh 3.9 vl ek; kftr l f{klr vkdfLed ns d

vof/k	yfEcr Mh-l h- fcyka dh l a[: k	/kujkf'k (₹ djKM+e)
2014-15 तक	3,329	72.27
2015-16	170	19.04
2016-17	121	47.74
; ksx	3,620	139.05

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मात्र मार्च 2017 में ही ₹ 32.97 करोड़ के 40 ए.सी. देयक आहरित किये गये, इनमें से 11 ए.सी. देयक ₹ 32.63 करोड़³⁷ वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28 मार्च और 31 मार्च 2017 के मध्य आहरित किये गये। क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को नियत कार्यों के लिये सीधे इन निकायों को धनराशि हस्तांतरित किये जाने के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा ₹ 32.53 करोड़ का आहरण ए.सी. देयक के माध्यम से किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं है। ए.सी. देयक से अनावश्यक आहरण एवं निर्धारित समयान्तर्गत डी.सी. देयक प्रस्तुत न किया जाना वित्तीय व्यवस्था का उल्लंघन है एवं लोक निधि के दुर्विनियोजन के जोखिम का संकेतक है तथा अनुपयुक्त प्रथा है।

वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. देयकों का समायोजन समयबद्ध तरीके से किया जाय एवं यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र बजट व्यपगत होने से बचाने के लिये ए.सी. देयकों से आहरण न हो।

3.13 tekvka ij C; kt dk Hkxrk u fd; k tkuk

राज्य सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष 8336 से 8342 के अन्तर्गत जमा पर ब्याज का भुगतान किये जाने की आवश्यकता है। 31 मार्च 2017 को लोक लेखे से सम्बन्धित इन मुख्य शीर्षों में ₹ 3,767.19 करोड़ (मुख्य शीर्ष 8336—सिविल जमा: ₹ 1.49 करोड़, मुख्य शीर्ष 8338—स्थानीय निधियों की जमा: ₹ 459.68 करोड़ एवं मुख्य शीर्ष 8342—अन्य जमा: ₹ 3,306.02 करोड़) अवशेष था। तथापि, इन जमाओं पर ब्याज का

³⁷ निदेशक, वित्त विभाग की निधि खाता (₹ 0.09 करोड़) स्टाफ कार/गाड़ी क्रय हेतु (₹ 8.19,000) एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु (₹ 95,500), वित्त विभाग (ऋण सेवाओं एवं अन्य व्यय) के अधीन जिला पंचायत राज अधिकारी, पडरौना को क्षेत्र पंचायत (₹ 5.64 करोड़) एवं ग्राम पंचायत (₹ 26.89 करोड़) के नियत कार्य हेतु।

कोई भुगतान नहीं किया गया जैसा कि तथ्य से स्पष्ट है कि शीर्ष 2049-60-101-जमा पर ब्याज के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के दौरान कोई व्यय पुस्तांकित नहीं किया गया। अनुदारवादी अनुमान लेते हुए मात्र वर्ष 2016-17 के लिये सरकारी उधार पर 6.82 प्रतिशत की दर से इस अवधि के लिये इन जमाओं पर ₹ 256.92 करोड़ ब्याज देय था। जिसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2016-17 में राजस्व आधिक्य में ₹ 256.92 करोड़ की अतिशयता हुई।

/Lrf/ वित्त विभाग को मुख्य शीर्ष 8336 से 8342 के अन्तर्गत सभी ब्याज सहित जमाओं पर ब्याज दर्ज करने हेतु समुचित कार्यवाही के लिये अवशेषों की समीक्षा करनी चाहिए।

3.14 jkT; ds iuxBu ds i'pkr-vo'k'ka dk foHkktu

उत्तर प्रदेश के संयुक्त राज्य के पुनर्गठन 8 नवम्बर 2000 से प्रभावी होने के करीब दो दशक के पश्चात् भी उत्तराधिकारी राज्यों उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य जमा और अग्रिम (मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा से मुख्य शीर्ष 8550-सिविल अग्रिम) के अन्तर्गत प्रदर्शित अवशेष धनराशि ₹ 8,757.37 करोड़ विभाजन हेतु अवशेष है।

/Lrf/ राज्य सरकार द्वारा जमा और अग्रिम (₹ 8,757.37 करोड़) के अवशेषों का विभाजन दोनों उत्तराधिकारी राज्यों के मध्य शीघ्र किया जाना चाहिये।

3.15 jkdM+vo'k'k ea fHkUrk

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेषों के सत्यापन प्रमाण-पत्र के अनुसार, माह मार्च 2017 के लिये शासन का डेबिट अवशेष ₹ 1,407.94 करोड़ था जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रमाणित अन्तिम रोकड़ अवशेष ₹ 1,280.65 करोड़ था। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये (31.03.2017 को) राज्य सरकार के रोकड़ शेष में विगत वर्षों के अवशेषों सहित ₹ 127.29 करोड़ (निवल डेबिट) का अन्तर है।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी, 2018) कि मिलान की प्रक्रिया प्रगति में है।

3.16 /kujkf'k; ka dks d'nh; I Md fuf/k ea glrkUrk .k u fd;k tkuk

मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में, केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया वर्णित है। इस प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त ऐसे अनुदान को सर्वप्रथम लोक लेखे में स्थानान्तरित किया जाना है, जहां से सड़कों तथा सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय करना है। उत्तर प्रदेश सरकार सी.आर.एफ. अनुदान के रूप में वर्ष 2016-17 में प्राप्त ₹ 219.71 करोड़ को लोक लेखे में स्थानान्तरित करने में विफल रहा, यद्यपि सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत पर ₹ 4,639.29 करोड़ का व्यय किया गया था, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 219.71 करोड़ में से विनिर्दिष्ट उद्देश्यों पर कितना उपभोग किया गया।

राज्य सरकार ने बताया कि चूंकि केन्द्र सरकार केन्द्रीय सड़क निधि (केन्द्र सरकार द्वारा सृजित) से राज्य सरकार को सड़क निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करती है जो मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के अधीन क्रेडिट होता है एवं सम्बन्धित मुख्य शीर्ष 3054/5054 से राज्य सड़क के अनुरक्षण पर व्यय किया जाता है, जो राज्य सरकार की परिसम्पत्ति है, इसलिए, उस अनुदान के समतुल्य राशि का

हस्तांतरण मुख्य शीर्ष 8449-103-केन्द्रीय सड़क निधि को किया जाना वांछनीय नहीं है।

राज्य सरकार का कथन उचित नहीं है क्योंकि यह केन्द्रीय सड़क निधि की लेखा प्रक्रिया से विचलन है।

3-17 jktLo vkf/kD; , oa jkt dks'kh; ?kkVs ij i Hkko

वित्त लेखे के अनुसार, प्राप्ति एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन के परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में ₹ 4,532.04 करोड़ की अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 4,462.96 करोड़ की न्यूनता हुई, जैसा l kj .kh 3-10 में दिया गया है:

l kj .kh 3-10% ys[ks ds vuq kj jktLo vkf/kD; , oa jkt dks'kh; ?kkVk ij i Hkko

fooj .k	jktLo vkf/kD; ij i Hkko (₹ dj kM+ e)		jkt dks'kh; ?kkVs ij i Hkko (₹ dj kM+ e)	
	vfr'k; rk	U; iurk	vfr'k; rk	U; iurk
लघु निर्माण कार्य एवं सहायता अनुदान राजस्व के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में लेखांकन	69.08	-	-	-
निक्षेप निधि से समेकित निधि में राजस्व प्राप्तियों के रूप में धनराशि का स्थानान्तरण	4,145.61	-	-	4,145.61
प्रतिभूति विमोचन निधि में अंशदान न किया जाना	298.27	-	-	298.27
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अवशेषों पर ब्याज	19.08	-	-	19.08
	4,532.04	-	-	4,462.96


(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

तथापि, प्रतिवेदन के विभिन्न स्थानों पर वर्णित, राजस्व एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण पुस्तांकन/लेखांकन का प्रभाव, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा आगणित किया गया, l kj .kh 3-11 में दिया गया है:

l kj .kh 3-11% ys[kki jh{kk ds vuq kj jktLo vkf/kD; , oa jkt dks'kh; ?kkVk ij i Hkko

fooj .k	jktLo vkf/kD; ij i Hkko (₹ dj kM+ e)		jkt dks'kh; ?kkVs ij i Hkko (₹ dj kM+ e)	
	vfr'k; rk	U; iurk	vfr'k; rk	U; iurk
लघु निर्माण कार्य एवं सहायता अनुदान राजस्व के स्थान पर पूंजीगत अनुभाग में लेखांकन	69.08	-	-	-
निक्षेप निधि के लेन-देन	-	6,626.74	6,626.74	-
प्रतिभूति विमोचन निधि में अंशदान न किया जाना	298.27	-	-	298.27
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अवशेषों पर ब्याज	19.08	-	-	19.08
जमाओं पर ब्याज का भुगतान न किया जाना	256.92	-	-	256.92
बोर्ड को अस्थानान्तरित श्रम उपकर की धनराशि	34.48	-	-	34.48
	677.83	6,626.74	6,626.74	608.75

उपरोक्त दृष्टि से, राज्य का राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटा जो क्रमशः ₹ 20,283 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ (उदय को छोड़कर) था, वास्तव में ₹ 19,605 करोड़ एवं ₹ 41,796 करोड़ होगा। निक्षेप निधि के उपरोक्त लेन-देनों के प्रभाव से राज्य के बकाया दायित्व में उक्त सीमा तक वृद्धि होगी अर्थात् बकाया दायित्व ₹ 4,08,422 करोड़ (उदय को छोड़कर) के स्थान पर ₹ 4,15,049 करोड़ होगा, जैसा कि l kj . kh 1.32 में प्रदर्शित है। राज्य की उपलब्धियों पर इन समस्त प्रभावों का वर्णन iLrj 1.1.2 में किया गया है।




¼i h0 d0 dVkfj ; k½

प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक

08 जून 2018

प्रतिहस्ताक्षरित



¼j ktho egf"kl½

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

7th June, 2018